




56



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण

निग-2675-II-16

जी.सी.ए. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

एफ-77 सिविल लाईन, भटिण्डा, पंजाब

द्वारा संचालकगण

1. अमरजीत सिंह चीमा पुत्र श्री राम सिंह चीमा

2. गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह

निवासी-वी.पी.ओ. नाभा, वरनाला, जिला संगरूर

विरुद्ध

- 1. सुखविन्दर
- 2. नरेन्द्र सिंह पुत्रगण पवेन्द्र सिंह
- 3. प्रियंका कौर
- 4. मलविन्दर सिंह ना.वा. पुत्र/पुत्रियां  
सर.माँ मनजीत कौर पत्नी पवेन्द्र सिंह
- ✓ 5. मनजीत कौर पत्नी पवेन्द्र सिंह  
सिक्ख निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी  
विष्णु मंदिर के पीछे, शिवपुरी  
जिला-शिवपुरी म.प्र.

श्री. सुमेश चन्दा पुत्र श्री. श्री. श्री.  
द्वारा आगत दि. 9-8-16 को  
प्रस्तुत

9-8-16  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

9/8/16

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 297/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 22-06-2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

संक्षिप्त तथ्य-



1. यह कि, आवेदक पंजीकृत कम्पनी है जिसका पंजीयन क्रमांक यू 52599 पीबी 2005 पीटीसी 28378 है आवेदक कम्पनी का पंजीयन पंजाब हिमांचल एवं चण्डीगढ़ के कम्पनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2675-दो/16

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8.12.16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित होकर स्थगन बढ़ाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.8.16 को दिया गया स्थगन निरंतर किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 11.8.16 को दिया गया स्थगन दिनांक 6.1.17 तक के लिये निरंतर किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख की मांग की जावे।</p> <p>पेशी दिनांक 6.1.17</p>	<p>Noted 06/01/17</p> 
29.12.16	<p>आवेदक कंपनी के ओर से अधिवक्ता श्री मुखेश कुमार सिंह के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.8.16 को दिया गया स्थगन निरंतर किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 11.8.16 को दिया गया स्थगन दिनांक 6.1.17 तक के लिये निरंतर किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख की मांग की जावे।</p> <p>पेशी दिनांक 6.1.17</p>	<p>मुखेश कुमार सिंह</p> 



सदस्य